छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 8–7/सात–1/2016 नया रायपुर, दिनांक 23 DEC 2016

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़।

विषय :– **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत रिफ्रेंस आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु प्राधिकरण का गठन के संबंध में।**

––00––

प्रदेश में शासकीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाही **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** के प्रावधानों के तहत की जाती है।

2/ नवीन भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 51 में भूमि अर्जन, प्रतिकर निर्धारण, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों के निपटारा करने के लिए **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण"** गठन करने का प्रावधान है। अधिनियम के उक्त प्रावधानों के आधार पर विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4–47/सात–1/2015 दिनांक 28.01.2016 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से राज्य में भूमि अर्जन संबंधी विवादों के निराकरण करने के लिए राज्य स्तर पर **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण"** का गठन किया गया है तथा एक अन्य विभागीय आदेश क्रमांक एफ 8–7/सात–1/2016, दिनांक 19.08.2016 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से श्री अखिल कुमार सामंतराय, सेवा निवृत्त छ0ग0 उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग, को उक्त प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक 01.09.2016 को पदभार भी ग्रहण कर लिया गया है।

3/ नव गठित "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" का कार्यालय वर्तमान में पी.जी.बी.टी. कालेज रायपुर के कक्ष क्रमांक 15, 16 एवं 17 में निर्धारित किया गया है।

4/ उक्त संबंध में यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्तानुसार गठित प्राधिकरण में शासन का पक्ष समर्थन करने के लिए एक निश्चित मासिक मानदेय पर एक शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति की जा रही है। यह कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है। आगामी एक माह में इस संबंध में निर्णय हो जावेगा।

5/ अतः यह निर्देशित किया जाता है, कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत पारित आवार्ड के विरूद्ध आपको या आपके अधीनस्थ भू–अर्जन अधिकारियों को जो भी अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उसे प्राप्त कर निराकरण हेतु उपरोक्तानुसार गठित प्राधिकरण को उनके कार्यालय के पते पर भेजने की व्यवस्था करें। आवेदन पत्र निर्देशित करते समय संलग्न चेकलिस्ट अनुसार जानकारी, मूल प्रकरण तथा आवार्ड की राशि भी भेजी जावे। उपरोक्तानुसार प्रेषित अभ्यावेदन तथा आपके पत्र की प्रतिलिपि शासकीय अधिवक्ता को भी देने का कष्ट करें, ताकि शासकीय अधिवक्ता द्वारा शासन का पक्ष समर्थन किया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(के.आर. पिस्दा)
सचिव 22/12/2016
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

भूमि अर्जन. प्रतिकर/पुनर्वासन के विरूद्ध अभ्यावेदन

चेक–लिस्ट

1. जिला – ....
2. आवेदक/अभ्यावेदककर्ता का नाम, पिता, पति का नाम एवं पूर्ण पता – ....
3. परियोजना का नाम, जिसके लिए भूमि अर्जन किया गया है. – ....
4. आवेदक के अर्जित भूमि का विवरण –

ख.नं.	कुल रकबा	अर्जित भूमि का रकबा
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

5. भूमि अर्जन करने वाले प्राधिकारी का पूर्ण विवरण – ....
6. प्रकरण क्रमांक तथा अवार्ड पारित करने का दिनांक – ....
7. निर्धारित अवार्ड का विवरण:–
   1. भूमि के लिए प्रतिकर – ....
   2. परिसम्पत्ति के लिए प्रतिकर – ....
   3. पुनर्वास/पुनर्व्यवस्थापन प्रतिकर – ....

   योग:– – ....
8. अभ्यावेदन का आधार, संक्षेप में – ....
9. अभ्यावेदन पर कलेक्टर का अभिमत – ....
10. आवेदक के पक्ष में पारित प्रतिकर की सम्पूर्ण राशि भी प्राधिकरण के पास जमा किया जावेगा । इस हेतु प्रतिकर की राशि, बैंक ड्राफ्ट क्रमांक, दिनांक – ....
11. अन्य विवरण, जो उल्लेख करना आवश्यक हो – ....

हस्ता/--

भू–अर्जन अधिकारी

.... जिला ......